



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeefdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०ब० -09 / 2016- 838 दिनांक : 18.06.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका / पाकुड़ वन प्रमंडल,
पाकुड़ / साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज / जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला / राँची वन प्रमंडल,
राँची / खूंटी वन प्रमंडल, खूंटी / सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा / लोहरदगा
वन प्रमंडल, लोहरदगा /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा / पोड़ाहाट वन प्रमंडल,
चाईबासा / चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा / जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर / सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला /

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बफर एरिया, पलामू व्याघ परियोजना, पलामू / कोर
एरिया, पलामू व्याघ परियोजना, पलामू / वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची / उप वन
संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सीमा सुदृढ़ीकरण"
योजना (जनजातीय क्षेत्रीय योजना) के अंतर्गत 47500 पक्का सीमा स्तम्भ के
निर्माण एवं डी०जी०पी०एस० द्वारा वन सीमा का सर्वे हेतु 1820.450 (अठारह
करोड बीस लाख पैंतालीस हजार) रु० मात्र राशि का ऑन लाइन उप आवंटन
(Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०बजट-16 / 2016-10 / स्वी० व०प०
दिनांक 17.06.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या
4 / यो०बजट-16 / 2016-- 46 / आ० व०प० दिनांक 17.06.2016

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796
जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष- 48 वन सीमा का सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत
वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि, स्वीकृत्यादेश के साथ कार्य विवरणी
संलग्न करते हुए कुल रु० 1820.450 (अठारह करोड बीस लाख पैंतालीस हजार) रु०
मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई		(राशि लाख में)
मजदूरी	688.275	(छ: करोड़ अठासी लाख सताईस हजार पाँच सौ रुपये)
आपूर्ति एवं सामग्री	1032.175	(दस करोड़ बतीस लाख सत्रह हजार पाँच सौ रुपये)
सर्वेक्षण	100.000	(एक करोड़ रुपये)
कुल :-	1820.450	(अठारह करोड़ बीस लाख पैंतालिस हजार रुपये)

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-2 एवं 3 पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति परिशिष्ट-1 पर द्रष्टव्य है।
3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध परिशिष्ट-1 से 2 के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
4. स्वीकृत राशि की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण / मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में समर्पित किये जाएं।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।

9. योजना का सूत्रण स्थल विशेष प्राक्कलन तथा तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप ही राशि की गणना कर योजना का सूत्रण किया गया है।

नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक रखीकृति के अनुरूप ही रखा जाएगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पद प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतनद र के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समस्य निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0 301, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/योबो -09/2016— 838 दिनांक— 18.05.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/दुमका/राँची/मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, राँची/मुख्य वन संरक्षक—सह—निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, झारखण्ड, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/ दुमका/ राँची/गुमला/ जमशेदपुर/चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची


10/05/2016

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समस्य निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0 301, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

40/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0 —09 / 2016—

दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/दुमका/राँची/मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, राँची/मुख्य वन संरक्षक—सह—निदेशक, पलामू व्याघ परियोजना, झारखण्ड, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/ दुमका/ राँची/गुमला/ जमशेदपुर/चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

40/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0 —09 / 2016— 838

दिनांक— 18.06.2016

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, /लातेहार/ दुमका/पाकुड़/साहेबगंज/जामताड़ा/गुमला/डोरण्डा, राँची/खूंटी/ सिमडेगा/लोहरदगा /चाईबासा/ जमशेदपुर/सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समस्या निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0 301, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

विश्वासभाजन,

₹0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0 —09 / 2016—

दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/दुमका/राँची/मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, राँची/मुख्य वन संरक्षक—सह—निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, झारखण्ड, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/ दुमका/ राँची/गुमला/ जमशेदपुर/चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

₹/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0 —09 / 2016—

दिनांक—

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, /लातेहार/ दुमका/पाकुड़/साहेबगंज/जामताड़ा/गुमला/डोरण्डा, राँची/खूंटी/ सिमडेगा/लोहरदगा /चाईबासा/ जमशेदपुर/सरायकेला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0 —09 / 2016— 838

दिनांक— 18.06.2016

प्रतिलिपि :— इनविस सेन्टर, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0 301, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन
Rk Sharma
10/6/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची
Bjm



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

चातू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 01/YB-09/2016/838

दिनांक -

18-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीकरण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	38421	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	2,898,000.00 रुपये अठाइस लाख अठानवे हजार
2	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीकरण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	38422	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O. DUMKA	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
3	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीकरण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	38423	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
योग:				
क्रमिक योग:				
रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख बयानवे हजार				
11,592,000.00				

(SHRI Y.K. SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढ़ीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38424	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
5	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढ़ीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38425	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
6	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढ़ीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38426	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	5,071,500.00 रुपये पचास लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ
7	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढ़ीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38427	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
<hr/>				
योग:				
क्रमिक योग:				
रुपये दो करोड सित्तानवे लाख चार हजार पाँच सौ				
<i>(Y.K.Singh)</i> (01/6/2016) (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)				
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				
18,112,500.00				
29,704,500.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38428	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
9	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38429	DRNEWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO: RANCHI FOREST DIVISION RA	5,796,000.00 रुपये सत्तावन लाख छयानवे हजार
10	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38430	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	4,347,000.00 रुपये तीरयालीस लाख सैतालीस हजार
11	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38431	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	5,071,500.00 रुपये पचास लाख इकहत्तर हजार पौँछ सौ
<hr/>				
योग:				19,561,500.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड़ बयानये लाख छाँठ हजार		 (10/06/2016)	49,266,000.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38432	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	5,071,500.00
13	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38433	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	3,622,500.00
14	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38434	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	2,898,000.00
15	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढीकरण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	38435	JSRFOR002 KAMLESH PANDEY DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	1,811,300.00

योगः

13,403,300.00

क्रमिक योगः

रुपये छ: करोड छब्बीस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ

62,669,300.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुरक्षीकरण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	38436	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DFO.CORE.AREA.TP.I EDININAGAR	2,173,500.00 रुपये इक्कीस लाख तीहत्तर हजार पैसे से
17	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुरक्षीकरण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	38437	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.T MEDININAGAR	2,173,500.00 रुपये इक्कीस लाख तीहत्तर हजार पैसे से
18	P 19 240601796480103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुरक्षीकरण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी	38438	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY. IFS DFO.WILD LIFE DIVISION RANCHI	1,811,200.00 रुपये अठारह लाख ग्यारह हजार दो से
19	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुरक्षीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38440	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	4,346,000.00 रुपये तीरयालीस लाख छयालीस हजार
योग:				10,504,200.00
क्रमिक योग:				73,173,500.00
रुपये सात करोड इक्कीस लाख तीहत्तर हजार पैसे से  (SHRI T.K.SINGH CHHATTISGARH) ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विप्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38441	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	6,519,000.00 रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार
21	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38443	SBJFOR001 SRI-KRISHNA KANT TIWARY DIV-FOR.OFF.SAHIBG	6,519,000.00 रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार
22	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38444	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	6,519,000.00 रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार
23	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38445	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	6,519,000.00 रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार

योगः:

26,076,000.00

क्रमिक योगः:

रुपये नौ करोड बयानवे लाख उनचास हजार पैंच सौ

99,249,500.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38447	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	7,605,500.00
25	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38449	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	6,519,000.00
26	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38451	RNCFOR01 A.K. GUPTA D.F.O. KHUNTI	6,519,000.00
27	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38453	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	8,692,000.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये बारह करोड चिंचारी लाख चिंचारी हजार

29,335,500.00

128,585,000.00



(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38454	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	6,519,000.00 रुपये पैसठ लाख उन्नीस हजार
29	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38455	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	7,605,500.00 रुपये छहत्तर लाख पौँच हजार पौँच से
30	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38456	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	7,605,500.00 रुपये छहत्तर लाख पौँच हजार पौँच से
31	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38457	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	5,432,500.00 रुपये चौपन लाख बत्तीस हजार पौँच से
योग:				
क्रमिक योग:				

योग:

क्रमिक योग:

रुपये पंद्रह करोड सत्तावन लाख सैतालीस हजार पौँच से

27,162,500.00

155,747,500.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विप्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुरक्षीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38458	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	4,346,000.00 रुपये तीरयालीस लाख छ्यालीस हजार
33	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुरक्षीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38459	JSRFOR002 KAMLESH PANDEY D.Y.C.E.& PD.PROJ.ELEPHANT JSP	2,716,200.00 रुपये सत्ताइस लाख सोलह हजार दो
34	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुरक्षीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38460	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DFO.CORE.AREA.TP. EDININAGAR	3,259,500.00 रुपये बत्तीस लाख उनसठ हजार पौँच
35	P 19 240601796480323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - वन सीमा का सुरक्षीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38461	PLMFOR068 MAHALING DFO.BUFFAR.AREA.TP. .MEDININAGAR	3,259,500.00 रुपये बत्तीस लाख उनसठ हजार पौँच

योग:

13,581,200.00

क्रमिक योग:

169,328,700.00

रुपये सोलह करोड तिरनावे लाख अठाइस हजार सात सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विप्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601796480323	38462	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO,WILD LIFE DIVISION RANCHI	2,716,300.00
37	P 19 240601796480382	38463	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	3,000,000.00
38	P 19 240601796480382	38464	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	3,000,000.00
39	P 19 240601796480382	38465	JSRFOR002 KAMLESH PANDEY DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	1,250,000.00

योगः:

क्रमिक योगः:

रुपये स त्र ह करोड बयानवे लाख पिनचानवे हजार

9,966,300.00

179,295,000.00

(SHRI Y.K.SINGH CHACHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	P 19 240601796480382 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 82 - सर्वेक्षण	38466	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO.WILD LIFE DIVISION RANCHI	1,250,000.00 रुपये बारह लाख पचास हजार

41	P 19 240601796480382 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 48 - बन सीमा का सुदीढीकरण 03 - प्रशासनिक व्यय 82 - सर्वेक्षण	38467	DRNFWL013 RAJIV.LOCHAN BAKSHI DFO: RANCHI FORES DIVISION RA	1,500,000.00 रुपये पंद्रह लाख
----	---	-------	--	----------------------------------

योगः:

क्रान्तिक योगः:

रुपये अठारह करोड बीस लाख पैतालीस हजार

2,750,000.00

182,045,000.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

**वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “वन सीमा का सुदृढ़ीकरण” योजना
(जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत प्रमण्डलवार पक्का सीमा स्तम्भ के निर्माण का स्वीकृत
भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य**

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (सीमा स्तम्भ की सं०)	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iv	v	vi	vii	viii
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताडा वन प्रमण्डल	2000	80.000	28.980	43.460	72.440
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल	3000	120.000	43.470	65.190	108.660
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल	3000	120.000	43.470	65.190	108.660
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमण्डल	3000	120.000	43.470	65.190	108.660
योग :-		11000	440.000	159.390	239.030	398.420
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल	3000	120.000	43.470	65.190	108.660
योग :-		3000	120.000	43.470	65.190	108.660
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल	3500	140.000	50.715	76.055	126.770
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल	3000	120.000	43.470	65.190	108.660
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खेंटी वन प्रमण्डल	3000	120.000	43.470	65.190	108.660
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल	4000	160.000	57.960	86.920	144.880
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल	3000	120.000	43.470	65.190	108.660
योग :-		16500	660.000	239.085	358.545	597.630
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल	3500	140.000	50.715	76.055	126.770
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल	3500	140.000	50.715	76.055	126.770
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल	2500	100.000	36.225	54.325	90.550
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	2000	80.000	28.980	43.460	72.440
योग :-		11500	460.000	166.635	249.895	416.530
1	उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर	1250	50.000	18.113	27.162	45.275
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया, पलामू	1500	60.000	21.735	32.595	54.330
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बफर एरिया, पलामू	1500	60.000	21.735	32.595	54.330
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	1250	50.000	18.112	27.163	45.275
योग :-		5500	220.000	79.695	119.515	199.209
सकल योग :-		47500	1900.000	688.275	1032.175	1720.450

अपर प्रधान मुख्य सरकारी संस्था
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सीमा का सुदृढ़ीकरण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत प्रमण्डलवार वन भूमि सीमा का डी०जी०पी०एस० सर्वे (सीमा स्तम्भ का अक्षांश एवं देशांतर का रीडिंग लेना तथा जियोरिफेरन्स मैप तैयार करना) करने का स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	सर्वेक्षण	कुल
i	ii	v	viii
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल	30.000	30.000
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल	30.000	30.000
3	उप वन संरक्षक, गज परियोजना, जमशेदपुर	12.500	12.500
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची	12.500	12.500
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल	15.000	15.000
योग :-		100.000	100.000

अपर प्रधान मुख्यमन्त्री संसदीय संसदक, विकास,
झारखण्ड, राँची